

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4438]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 5, 2018/कार्तिक 14, 1940

No. 44381

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 5, 2018/KARTIKA 14, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2018

का.आ. 5650(अ).—केंद्रीय सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबन्धित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र (जहां उस व्यक्ति की आस्तियां भौतिक रूप से अवस्थित हैं, जिसका रजिस्ट्रीकरण उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन रद्द कर दिया गया है), के अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव (गृह) को उक्त अधिनियम की धारा 15 के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में विहित करती है।

[फा. सं. II/21022/23(43)/2018–एफसीआरए- III] अनिल मलिक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2018

S.O. 5650(E).—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 15 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) (herein after referred to as the said Act), the Central Government hereby prescribes the Additional Chief Secretary or Principal Secretary (Home) of the concerned State Government or Union territory (where the assets of the person whose registration has been cancelled under section 14 of the said Act are physically located), as competent authority for the purposes of section 15 of the said Act.

[F. No. II/21022/23(43)/2018-FCRA-III]

ANIL MALIK, Jt. Secy.

6552 GI/2018